



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 31.01.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अपहरण एवं पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 03 आरोपी अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 14.03.2013 को वादी श्री छोटे निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमपाल उर्फ ओमी निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.चेता पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी के 09 वर्षीय पोते भोले को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गये हैं । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 105/13 धारा 363/120बी भादवि बनाम संजय आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में मुनेश देवी पत्नी रमेश सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश में आया ।

दिनांक 15.03.2013 को अपहृत भोले उपरोक्त को अभियुक्तों के कब्जे से छुड़ाने के प्रयास के दौरान अपहरणकर्ताओं द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी थी । इस सम्बंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 106/13 धारा 307 भादवि बनाम संजय व चेटा उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त उपरोक्त अभियोगों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 31.01.2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-एफटीसी-II, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 105/13 धारा 363/120बी भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमपाल उर्फ ओमी निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.चेता पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.मुनेश देवी पत्नी रमेश सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 07-07 वर्ष के कारावास तथा 05-05 हजार के अर्थदण्ड एवं मु0अ0सं0 106/13 धारा 307 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमपाल उर्फ ओमी निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.चेता पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 07-07 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.संजय पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमपाल उर्फ ओमी निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.चेता पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.मुनेश पत्नी रमेश सिंह निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस

दिनांक 31.01.2025

यातायात निदेशालय द्वारा मनाये जा रहे यातायात माह जनवरी-25 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण ।

यातायात निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे यातायात माह जनवरी-2025 के दृष्टिगत जनपद में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की चैकिंग की जा रही है जिसके क्रम में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यावाही की जा रही है तथा वाहन चालक / परिचालक, छात्र-छात्राओं एवं आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा है ।

माह जनवरी 2025 में यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले **10580** वाहनों के चालान किये गये जिसमें **5,50,000/-** रुपये का शमन शुल्क वसूला गया, जिसमें ओवर स्पीड में चलने वाले **314** वाहनों के स्पीड रडार लगाकर चालान किये गये, गलत दिशा के **428** चालान किये गये, शराब पीकर वाहन चालान वालों के **86** चालान किये गये, बिना सीट बेल्ट के **526** चालान किये गये, सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों **95** के चालान किये गये, कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतु **1150** वाहनो पर रिफ्लेक्टर टैप लगाये गये एवं **81** चालान किये गये, **164** वाहनों के बिना फॉग लाईट के चालान किये गये, बिना हेलमेट के **4186** वाहनों के चालान किये गये, **90** यातायात संबंधी साईन बोर्ड लगवाये गये ।

आज दिनांक **31.01.2025** को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आरबीडी महाविद्यालय बिजनौर में प्रभारी यातायात जनपद बिजनौर के द्वारा प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉ० पारुल त्यागी जी की अध्यक्षता में छात्राओं एवं अध्यापिकाओं और कॉलेज के स्टाफ को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया और डेमो देकर भी समझाया गया ।





BIJNOR POLICE



माह जनवरी - 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह जनवरी में कुल-64 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह जनवरी में कुल-64 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र० सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	1090 / 24	137(2),352 बीएनएस
2	कोतवाली शहर	1178 / 24	87 बीएनएस
3	हल्दौर	19 / 25	87 बीएनएस
4	नजीबाबाद	29 / 25	137(2),65(1) बीएनएस व 3/4(2) व 16/17 पोक्सो एक्ट
5	नजीबाबाद	14 / 25	87 बीएनएस
6	नजीबाबाद	19 / 25	137(2) बीएनएस
7	किरतपुर	436 / 24	87,351(2) बीएनएस
8	किरतपुर	418 / 24	137(2) बीएनएस
9	किरतपुर	08 / 25	87 बीएनएस
10	चांदपुर	704 / 24	87 बीएनएस

11	चांदपुर	02 / 25	87 बीएनएस
12	चांदपुर	03 / 25	137(2) बीएनएस
13	चांदपुर	14 / 25	137(2) बीएनएस
14	चांदपुर	24 / 25	137(2) बीएनएस
15	नूरपुर	25 / 25	87 बीएनएस
16	नूरपुर	02 / 25	137(2) बीएनएस व 7/8 पॉ0 एक्ट
17	नूरपुर	15 / 25	137(2) बीएनएस
18	नूरपुर	21 / 25	87 बीएनएस
19	हीमपुर दीपा	06 / 25	87 बीएनएस
20	हीमपुर दीपा	10 / 25	137(2) बीएनएस
21	शिवाला कला	01 / 25	87 बीएनएस
22	शिवाला कलां	03 / 25	87 बीएनएस
23	नगीना	346 / 24	87 बीएनएस
24	नगीना	07 25	87, 61(2) बीएनएस
25	नगीना	10 / 25	137(2) बीएनएस
26	कोतवाली देहात	04 / 25	137(2) बीएनएस
27	कोतवाली देहात	13 / 25	87 बीएनएस
28	बढापुर	248 / 24	87 बीएनएस वृद्धि धारा 3/4 पॉ0एक्ट व 137(2) बीएनएस
29	नगीना देहात	266 / 24	87 बीएनएस
30	नगीना देहात	02 / 25	87 बीएनएस
31	नगीना देहात	05 / 25	87 बीएनएस
32	नगीना देहात	06 / 25	87 बीएनएस
33	धामपुर	528 / 24	87,61(2) बीएनएस
34	धामपुर	567 / 24	87 बीएनएस
35	धामपुर	05 / 25	87 बीएनएस
36	धामपुर	10 / 25	87 बीएनएस
37	धामपुर	26 / 25	87 बीएनएस
38	धामपुर	31 / 25	137(2) बीएनएस
39	धामपुर	17 / 25	87 बीएनएस
40	धामपुर	19 / 25	87 बीएनएस
41	धामपुर	40 / 25	87 बीएनएस

42	स्योहारा	287 / 24	366 भादवि
43	स्योहारा	403 / 24	87 बीएनएस
44	स्योहारा	521 / 24	87 बीएनएस
45	स्योहारा	566 / 24	137(2) बीएनएस
46	स्योहारा	10 / 25	87,137(2) बीएनएस (02 बरामद)
47	स्योहारा	07 / 25	87,137(2) बीएनएस
48	स्योहारा	29 / 25	137(2) बीएनएस
49	स्योहारा	30 / 25	137(2) बीएनएस
50	स्योहारा	22 / 25	87,131 बीएनएस
51	नहतौर	404 / 24	87 बीएनएस
52	नहतौर	423 / 24	87,352,351(2) बीएनएस
53	नहतौर	05 / 25	87 बीएनएस
54	नहतौर	424 / 24	137(2) बीएनएस
55	नहतौर	08 / 25	137(2) बीएनएस
56	नहतौर	20 / 25	87 बीएनएस
57	नहतौर	17 / 25	137(2) बीएनएस
58	अफजलगढ	378 / 24	87, 61(2) बीएनएस
59	अफजलगढ	17 / 25	87 बीएनएस
60	अफजलगढ	24 / 25	87 बीएनएस
61	अफजलगढ	13 / 25	87 बीएनएस
62	शेरकोट	02 / 25	87 बीएनएस
63	रेहड	05 / 25	87 बीएनएस





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात

दिनांक- 31.01.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों 1- बिजेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात बिजनौर 2- जोगेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- बिजेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात बिजनौर।
- 2- जोगेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी ग्राम बेगमपुर शादी उर्फ रामपुर थाना कोतवाली देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विक्रान्त कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी योगेन्द्र राठी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी भूपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक- 31.01.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों 1- मौ० अजीम पुत्र मौ० यामीन निवासी मौहल्ला जैनुल आवेदिन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 2- विजेन्द्र पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम दल्लीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 3- सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दल्लीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- मौ० अजीम पुत्र मौ० यामीन नि० मौ० जैनुल आवेदिन कस्बा व थाना अफजलगढ बिजनौर
- 2- विजेन्द्र पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम दल्लीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3- सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम दल्लीवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० हरवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी कलीम हसन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी सचिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
5. आरक्षी शुभम कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
6. पीआरडी सुरेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 31.01.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 52/25 धारा
420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.01.2025 को श्रीमती कौशल पत्नी सन्तराम शर्मा निवासी ग्राम केलनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.संजीव कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम बागडपुर 2.नरेन्द्र पुत्र गम्भीर सिंह 3.सरोज देवी पत्नी नरेन्द्र 4. सतेन्द्र पुत्र नरेन्द्र 5.पूजा पत्नी अरविन्द कुमार 6.अरविन्द 7.सतेन्द्र की पत्नी द्वारा षडयन्त्र रचकर धोखाधड़ी से कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार करके वादिनी की क़य शुदा अराजी की 143.81 वर्ग मीटर जमीन में से रास्ता दिखाने व गलत तरीके से फर्जी बैनामा करा लिया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 52/25 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 31.01.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संजीव कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम बागडपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 52/25 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2-मु0अ0सं0 49/25 धारा 191(2)/190/324(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 शादाब थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी 2436 राजीव राठी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।